तटस्थ उद्धरण संख्या : 2023 : डीएचसी : 2458-डीबी

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथिः 10 अप्रैल, 2023

रि.या.(सि) 4324/2023 व सि.वि.आवे. 16643/2023

श्री भगवान .... याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री ए. के. मेहता व सुश्री गुंजन कुमार, अधिवक्तागण

बनाम

अपने सचिव के माध्यम से भारत संघ व अन्य .... प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री निर्विकार वर्मा, केंद्र सरकार स्थायी अधिवक्ता सह श्री कौटिल्य बिरत, भारत संघ हेतु अधिवक्ता

कोरम :
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा

<u>निर्णय</u> (*मौखिक*)

1. वर्तमान याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता निम्नलिखित अनुतोषों की मांग कर रहा हैः

क) "अभिलेखों को मंगाया जाए;

ख) प्रत्यर्थी सं. 4 द्वारा पारित आक्षेपित [निर्णय / आदेश] दिनांकित 23.09.2022 को अपास्त करते हुए उत्प्रेषण की रिट या इसी प्रकृति की कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

ग) याचिकाकर्ता की एसआई (एक्स) के रूप में तैनाती को प्रत्यावर्तित किया जाए।"

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी सं. 2 / महानिदेशक, सीआईएसएफ के समक्ष आदेश दिनांकित 19.12.2022 के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका दिनांकित 09.03.2023 दायर की है, हालाँकि, प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा इसे अभी तक निर्णित नहीं किया गया है।

3. तदनुसार, हम वर्तमान याचिका का प्रत्यर्थी संख्या 2 / महानिदेशक, सीआईएसएफ को आज से चार सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता की पुनरीक्षण याचिका दिनांकित 09.03.2023 को निर्णित करने का निर्देश देते हुए निपटान करते हैं।

4. इस प्रकार, लिए गए निर्णय के बारे में याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर एक तर्कसंगत आदेश के साथ सूचित किया जाए।

5. तदनुसार, लंबित आवेदन के साथ वर्तमान याचिका का निपटान किया जाता है।

6. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि याचिकाकर्ता अभी भी प्रत्यर्थी के निर्णय से व्यथित है, तो वह उचित न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती दे सकता है।

(सुरेश कुमार कैत)
न्यायाधीश

(नीना बंसल कृष्णा)
न्यायाधीश

10 अप्रैल, 2023
एस.शर्मा

तटस्थ उद्धरण संख्या : 2023 : डीएचसी : 2458-डीबी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*